IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 4, Issue 6, November 2024
Impact Factor: 7.57

मध्यप्रदेश में जीएसटी लागू होने के पश्चात राज्य के राजस्व पर प्रभाव

डॉ. सतपाल सिंह भाटिया

प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग

श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर (म.प्र.)

सारांशः

भारत में 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू की गई, जिसने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करते हुए देश की कर संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन किया। यह शोधपत्र मध्यप्रदेश राज्य में जीएसटी लागू होने के पश्चात राजस्व संग्रह पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2023–24 तक के केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय जीएसटी घटकों जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एवं मुआवजा उपकर पर केन्द्रित है। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में संक्रमणकालीन चुनौतियाँ सामने आईं, परंतु समय के साथ राज्य का कुल जीएसटी संग्रह स्थिरता और वृद्धि दोनों दर्शाता है। वर्ष 2017–18 में जहाँ कुल जीएसटी संग्रह ₹15,543.67 करोड़ था, वहीं 2023–24 में यह बढ़कर ₹42,173.93 करोड़ हो गया। यह वृद्धि कर आधार के विस्तार, डिजिटल अनुपालन में सुधार और प्रशासनिक दक्षता का परिणाम है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश अब धीरे–धीरे राजस्व आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और जीएसटी प्रणाली ने राज्य की वित्तीय स्थिति को दीर्घकालिक रूप से सशक्त किया है।

शब्द कुंजी :– जीएसटी, मध्यप्रदेश, राजस्व संग्रह, अप्रत्यक्ष कर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, मुआवजा उपकर, कर अनुपालन, वित्तीय प्रभाव।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/IJARSCT-22560